न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या :- 12/2020

प्रार्थीगण

01. जगराम गोद पुत्र हेमाराम
02. सदराम पुत्र कानाराम
03. सुखराम पुत्र कानाराम फौत होने पर उनके कामय मुकाम
    1/3 आसूराम पुत्र सुखराम
04. सुखराम पुत्र खुमाराम
05. भारमलराम पुत्र खुमाराम
06. ठाकराराम पुत्र भैराराम
07. शैराराम पुत्र भैराराम
08. किशनाराम पुत्र भैराराम
09. धूकलाराम पुत्र भैराराम
10. रुखमण पत्नी भैराराम
11. विरधाराम पुत्र भगवानाराम
12. रामलाल पुत्र भगवानाराम
13. केशरीमल पुत्र भगवानाराम
14. राणाराम पुत्र जगराम
15. सत्यपाल पुत्र जगराम
16. मीरों पत्नी जगराम
17. द्रोपदी पुत्री जगराम
18. रमेश पुत्र हरचंद
19. गणपत पुत्र हरचंद
20. पवनी पत्नी हरचंद
21. धूड़ा पुत्र बागा
22. गोगाराम पुत्र अर्जूनराम
23. मोहनलाल पुत्र अर्जूनराम
24. जेठाराम पुत्र अर्जूनराम
25. धनी देवी पत्नी अर्जूनराम
26. तेजाराम पुत्र ईशराराम
27. मदाराम पुत्र ईशराराम
28. गोकलाराम पुत्र सांवताराम

जातिगण विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम विप्रार्थीगण

01. हनुमानराम पुत्र रामकेन
02. कोहलाराम पुत्र कानाराम
03. गंगा देवी पुत्री हेमाराम
04. चन्दू देवी पुत्री हेमाराम
05. शान्ती देवी पुत्री हेमाराम
06. धनाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम पर
    6/1. जगराम पुत्र धनाराम
    6/2. पेमाराम पुत्र धनाराम
    6/3. गोपालाराम पुत्र धनाराम
07. उदाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम पर
    07/1. किशनाराम पुत्र उदाराम
    07/2. हीराराम पुत्र उदाराम
    07/3. नारायणराम पुत्र उदाराम
    07/4. भजनाराम पुत्र उदाराम
08. नसीगाराम पुत्र रतनाराम
09. प्रभूराम पुत्र रतनाराम
10. झमू पत्नी रतनाराम फौत के कायम मुकाम पर विप्रार्थी संख्या 08 व 09 है।
11. सोनाराम पुत्र रामूराम
12. लालाराम पुत्र रामूराम फौत के कायम मुकाम
    12/1. आसुराम पुत्र लालाराम
    12/2. राजुराम पुत्र लालाराम
    12/3. लाधुराम पुत्र लालाराम
13. भारताराम पुत्र रामूराम
14. मंगलाराम पुत्र रामूराम
15. बंजीराम पुत्र रामूराम
16. भाखराराम पुत्र रामूराम
17. पारू पत्नी शेराराम
18. ओमप्रकाश पुत्र शेराराम
19. पांचाराम पुत्र शेराराम
20. गजरो पत्नी नरसीगाराम
21. केली देवी पत्नी प्रभूराम
22. मकु देवी पत्नी किशनाराम
23. मोहनी पत्नी नारणाराम
24. कमला देवी पत्नी भजनाराम
25. तुलछी देवी पत्नी मंगलाराम
26. शांति पत्नी बीजाराम
27. सगणी पत्नी भारताराम
28. [illegible] पत्नी लालाराम
29. [illegible]हनी [illegible]वी पत्नी धर्माराम
30. [illegible] धूड़ाराम
31. ने[illegible] पत्नी उमाराम
32. [illegible]राम पुत्र भैराराम

[illegible]गण विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना

33. तहसीलदार धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, सी पी सी वास्ते करने संसोधन आदेश व डीक्री

तारीख रजू: 06.03.2020

अधिवक्तागणः–

1. श्री हापूराम, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. भाखराराम गोदाराम, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 6/1, 6/2, 8, 9, 11 से 17, 19, 25 से 27, 29, 30
3. हुकमसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 02

–: : निर्णय : :–

दिनांक 11.06.2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद श्रीमान सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय मे घोषणा बटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का घोषणा के साथ प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य बटवाड़े का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जो प्राप्त होने पर दिनांक 27/11/2004 को अन्तिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया परन्तु विभाजन प्रस्ताव मे तकनिकी त्रुर्टि के कारण अन्तिम डिक्री भी त्रुर्टि पूर्ण पारित हुई जिसे संसोधित करने हेतू प्रार्थना पत्र निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है कि प्रार्थना पत्र के सक्षप्ति तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व वाद सख्या 232/04 वादी रामकेन वगैराह ने इस आश्य का पेश किया कि वादीगण का खसरा संख्या 415 मे हिस्सा अधिक दर्ज है तथा खसरा संख्या 410 मे वादीगण का कब्जा काश्त के बावजूद नाम दर्ज नही हुआ है तथा खसरा संख्या 465 मे भी सही हिस्सा दर्ज नही हुआ है इसलिए सम्पूर्ण आराजी मे इस्तदुआ अनुसार वादीगण का हिस्सा घोषित कर कब्जा काश्त के अनुसार बटवाड़ा किया जावे जिस पर प्रतिवादीगण ने भी सहमति जताते हुऐ वादीगण को तीनो खसरो मे 331 बीघा प्रतिवादीगण को भी 780–18 बीघा भूमि दी जाकर संलग्न [illegible] नक्शा प्रदर्श 31 के अनुसार बटवाड़ा कर अलग अलग खसरा कायम कर उसी अनुसार खाते मे इन्द्राज कर नामान्तरकरण पारित कर वादीगण एव प्रतिवादीगण अलग जमाबन्दी खतौनी कायम की जावे तथा उक्त सहमति व राजीनामे के अनुसार दिनाक 27/[illegible]/2004 निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा निर्णय व डिक्री की पालना मे लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करनी थी जो बाद नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते जिला
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

पसिल से तरमीम की गई जो धीरे धीरे लट्ठा ट्रेस घीसने से तरमीम की दृश्यता कम हो गई इस पर राजस्व विभाग ने वर्ष 2019 को उक्त तरमीम के आधार पर लाल सही से पक्की तरमीम की गई। प्रार्थी द्वारा अर्शा एक माह पूर्व राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन करवाने के दौरान आवश्यकता होने पर राजस्व रेकर्ड मे जमाबन्दी व नक्शे की प्रति प्राप्त की गई तब प्रार्थीगण के आवास व सुधार युक्त हिस्सा जो विभाजन के समय प्रार्थीगण को नक्शे मे प्राप्त हुआ बरंग लाल से इन्द्राज किया हुआ था प्रार्थीगण के खसरे में उक्त बरंग लाल रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्से खसरा मे नही आयी तब प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर हल्का पटवारी से सलाह मशविरा करने के पश्चात जानकारी हुई कि प्रार्थीगण जो तात्कालिक राजस्व वाद मे विप्रार्थीगण थे को खसरा संख्या 410 मे खसरा संख्या 415 के उत्तरी हिस्से की तरफ खसरा संख्या 464 के सामान्तर त्रिभुजाकार बरंग लाल भूमि मे जो लगभग रकाब 15-00 बीघा थी मे बीघा व खसरा नम्बर अंकित नही है तथा हल्का पटवारी व विभाजन प्रस्ताव के राजस्व टीम द्वारा कलमी त्रुर्टि से इन्द्राज नही हो सका जिसके कारण उस वाद के वादीगण रामकेन वगैराह के खसरा के साथ नक्शा ट्रेस के साथ दर्ज होने लगा जबकि बीघा मे और कब्जे मे तत्काल वाद के प्रतिवादीगण हम प्रार्थीगण के आये हुऐ है इस प्रकार हम प्रार्थीगण के बीघा मे भूमि पूर्ण है जबकि खसरा संख्या 410 मे हमारी भूमि 518-16 बीघा जो हमारे कब्जा काश्त अनुसार पूर्ण है परन्तु उक्त आराजी दो भागो मे विभाजित है जिसमें एक भाग जो वर्तमान खसरा संख्या 410 इन्द्राज है रकबा 503-16 बीघा करके दूसरा इसी खसरे का भू भाग खसरा संख्या 464 के पश्चिम मे आया हुआ है जो रकबा 15-00 बीघा का आया हुआ है को खसरा संख्या 410/6 अंकित करना था परन्तु खसरा संख्या 415 के साथ मिला होना आभास होने से तथ्य की भूल से व कलम की त्रुर्टि से इन्द्राज नही हो पाया इस कारण नामान्तरकरण मे भी दर्ज नही होने से लट्ठा ट्रेस मे भी तरमीम नही हो पाई इस प्रकार पारित डिक्री व ओदश मे आंशिक त्रुर्टि होने से उक्त आंशिक त्रुर्टि के निवारण हेतू इतने बड़े निर्णय की अपील किया जाना उचित नही है ऐसी परिस्थिति मे उक्त आदेश के त्रुर्टि की दुरस्ती इसी न्यायालय द्वारा संसोधन से किया जाने का विधि मे स्पष्ट प्रावधान है। त्रुर्टि पूर्ण डिक्री व ओदश की पालना मे पारित नामान्तरकरण के आधार पर तरमीम की गई तथा निर्णय व [illegible] साथ विभाजन प्रस्ताव कायम नक्शा प्रदर्श 31 के आधार [illegible] तरमीम पैसिल से होने से समय के साथ अदृश्य होती [illegible] तत्पश्चात उक्त प्रार्थीगण के 15 बीघा भूमि तात्कालिक वाद के वादीगण के 90 बीघा का कायम खसरा उक्त खसरे के स्थान पर बनाया गया इसके पश्चात उक्त खसरे की भूमि बढने पर उसको भी रकबा मे बराबर करने के लिए त्रुर्टि पूर्ण तरमीम कर दी गई इस प्रकार

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

आलौच्य आदेश मे संसोधन के पश्चात प्रदर्श 31 के अनुसार पुनः तरमीम किया जाना न्यायोचित है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री व ओदश मे त्रुटि को संसोधित करते हुऐ संसोधित डिक्री व आदेश पारित किया जा कर पालना हेतू निदेर्शित किया जाना न्यायोचित है। उक्त कलमी त्रुटि की वजह से उक्त विवादाग्रस्त अराजी में 15 बीघा भूमि मे काबिज पक्षकार का ही हित प्रभावित हो रहा है शेष पक्षकारो का उक्त संशोधन मे किसी प्रकार की हानि या लाभ नही होगा इसलिए हित बन्द अतिरिक्त सहखातेदार एवं त्रुटीपूर्ण डिक्री के पक्षकारो के प्रार्थना पत्र मे विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है परन्तु इन पक्षकारो से किसी प्रकार के सरवान अनुतोष की मांग नही की गई है। उक्त विवादग्रस्त वाद संख्या 232/2004 रामकेन बनाम जगराम मे दिनांक 10/11/2004 को वादीगण के साक्ष्य ली गई तथा 17/11/2004 को प्रतिवादीगण साक्ष्य ली गई तथा उसी दिन पत्रावली को बहस हेतू नियत किया गया तथा दिनांक 27/11/2004 को उक्त पत्रावली में बहस सुनी गई तथा बहस के साथ ही न्यायालय द्वारा अन्तिम डक्री व आदेश पारित कर उसी दिन विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिसे तहसीलदार द्वारा प्रदर्श 31 के रुप मे दिनांक 27/11/2004 को प्रदर्शित कर दिया तथा उसी नक्शे को अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग माना गया इस प्रकार आलौच्य आदेश मे बटवाडे का वाद घोषणा के साथ होने के बावजूद एक ही दिन मे सभी प्रक्रिया पूर्णकी गई जिससे राजस्व कर्मचारीयो ने तैयार करने में अतिशिघ्रता दिखाई गयी तथा इसी अतिशिघ्रता के फल स्वरुप निर्णय व डिक्री मे भारी त्रुटियां रह गई उनी त्रुटियो के फलस्वरुप नक्शे मे स्पष्ट रुप से प्रार्थीगण के हिस्से मे दर्शायी गई भूमि का क्षेत्रफल व खसरा नम्बर अंकित नही होने से निर्णय व डिक्री की पालना मे किये गये नामान्तकरण उक्त 15 बीघा भूमि के खसरा नम्बर व तरमीम अंकित नही हो पाई इस प्रकार निर्णय व डिक्री मे स्पष्ट रुप से त्रुटि प्रमाणित है जिससे आलौच्य ओदश अपास्त होने योग्य है परन्तु उक्त डिक्री पर्चा व निर्णय लोक अदालत की भावना से जरिये राजीनामा के होने से अपील किया जाना न्यायोचित नही है तथा सम्पूर्ण निर्णय को भी पक्षकारो की संख्या व खेत का क्षेत्रफल को देखते हुऐ अपील पेश करने पर भारी जटिलता पैदा होती है ऐसी परिस्थितियो में निर्णय व डिक्री को दुरस्त किये जाने हेतू संसोधन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश व डिक्री पुनः सुनवाई कर सशोधित डिक्री पर्चा मय ... पारित किया जाना न्यायोचित है, का प्रार्थना पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विप्रार्थीगण को जरिये डाक तलब किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री भाखराराम गोदारा द्वारा दोराने बहस अर्ज किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है तथा विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:26:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

01 से 02 तक के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी पी सी के तहत पेश किया है जो विचाराधीन है जो ऐसे बटवाडा प्रस्ताव पर पारित निर्णय व डिक्री को केवल धारा 223 रा. का. अधि. के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अपील दर्ज की जा सकती है, साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री में बंटवाडा प्रस्ताव पर पारित की गई थी जिस बंटवाड़ा प्रस्ताव पर पटवारी हल्का ने सही तरमीम नही की है सलग्न नजरीये नक्शे में परिशिष्ट ''अ' मे बताये अनुसार तरमीम होनी चाहिए वगैराह का पेश किया।

प्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। मौका रिपोर्ट अनुसार पुनः आदेश प्रदान करावें।

विप्रार्थीगण वकील ने विरोध किया कि प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

धारा 152 सीपीसी – निणर्यो डिक्रियों का आदेशों या संशोधन– निर्णयों, या डिक्रियों व आदेशों में ही लेखन या गणित सम्बन्धी भूले या सिकी आकस्मिक भू या लोप से उसमें हुयी गलतियों न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

सम्पूर्ण प्रकरण व मौका की जांच हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमना ने दिनांक 16.05.2024 को मौके पर जाकर जांच की गई। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमना कार्यालय की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 के जरिये न्यायालय को प्राप्त हुई। तहसीलदार धोरीमना में अपनी मौका रिपोर्ट मे बताया कि ग्राम आजाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 410 रकबा 518–16 बीघा बीघा (83.9802) भूमि राजस्व वाद संख्या 232/04 के निर्णय अनुसार दर्ज हुई थी। प्रस्तावित नक्शा में प्रार्थीगण (मूल वाद में प्रतिवादीगण) की भूमि खसरा संख्या 410 में दो स्थानों पर प्रस्तावित की गई थी। परन्तु नक्शा में रकबा एक ही लिख दिया गया था। वास्तविक व मौके पर खसरा संख्या 410 में प्रार्थीगण (मूल वाद में प्रतिवादीगण) रकबा 503–16 बीघा व 15–00 बीघा कुल रकबा 518–16 बीघा हैं खसरा संख्या 410 दो भाग हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 410 की भूमि बरंग लाल जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना था परन्तू खसरा नम्बर व रकबा अंकित नही होने से इन्द्राज नही हो पाया, साथ ही तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ ही परिशिष्ट ''बी'' नक्शा प्रस्तुत किया जो सहमति से बनाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार बनाया गया है

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

,समें प्रार्थीगण का खेत बरंग नीला से अंकित किया गया है तथा खसरा संख्या 415 के सेढे पर स्थित खसरा संख्या 410 सक हिस्सा 2.4281 हैक्टेयर यानि 15 बीघा जो पूर्व में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने में वंचित रहा जो विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होना था तथा विप्रार्थीगण प्राप्त खसरा 410/2 में पूर्व की तरमीम करते समय विभाजन प्रस्ताव के विपरीत 15 बीघा भूमि उत्तरी दिशा से कम कर दी गई जिसे तरमीम मे वर्तमान में परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार संशोधित किया जाना उचित है इस प्रकार तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उक्त निर्णय की पालना में पारित नामान्तकरण में आंशिक संसोधन करते हुऐ पुनः नये सिरे से नामान्तकरण पारित कर इन त्रुर्टियों को संसोधित किया जाना उचित है।

मूल वाद संख्या 232/2004 के वाद पत्र व जबाब दावा, अन्य प्रदर्शित दस्तावेजो, निर्णय व डिकरी का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वाद पत्र में नक्शा प्रदर्श 31 में वादीगण व प्रतिवादीगण का अलग रंग से दर्शाया गया है। वादीगण का हरा रंग व प्रतिवादीगण (हस्तगत आवेदन में प्रार्थीगण) का बरंग लाल से दर्शाया गया। जिसमें नक्श में रकबा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बरंग लाल खसरा संख्या 410 का दो भाग किया हुआ हैं जो खसरा संख्या 410 के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक लाल रंग से दर्शाया गया है।

पत्रावली के अध्ययन से पूर्व में जारी डिक्री व निर्णय दिनांक 27.11.2004 में लिपिकिय त्रृटि हुई हैं जिसमें खसरा संख्या 410 का दो भाग करना था, निर्णय का आधार नक्शा माना गया था जिसमें में लाल रंग से नक्शा में दक्षिणी पूर्वी भाग में एक लाल रंग से दर्शाया गया है लेकिन कुल साथ जोड़ दिया गया था इसलिए आवेदन स्वीकार योग्य है।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तार पूर्वक सुनी ,पत्रावाली का अध्ययन व अवलोकन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना के ग्राम अजाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 410 रकबा 83.9802 हेक्टेयर में खसरा संख्या 410 क्षैत्रफल 82.5521 हेक्टैयर, खसरा संख्या 410 क्षैत्रफल 2.4281 हेक्टेयर तहसीलदार धोरीमना कार्यालय की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 अनुसार [illegible] डिकरी दिनांक 27.11.2004 मे दुरस्त करते हुए खसरा संख्या 410/2 में तरमीम दुरूस्त करना व डिक्री में संशोधन [illegible] जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी वास्ते करने संशोधन आदेश व डिक्री भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम आजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र व तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 410 में प्रकरण संख्या 232/04 बअनवान रामकेन व अन्य बनाम जगराम व अन्य पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2024 में रही त्रुटि को आंशिक संसोधित तहसीलदार धोरीमना कार्यालय की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 की रिपोर्ट में परिशिष्ट बी अनुसार खसरा संख्या 410 का दो भाग जिसका रकबा क्रमश : 81.5521, 2.4281 करते हुए खसरा संख्या 410/2 की तरमीम शुद्ध की जाएं हैं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है। ऑनलाईन नक्शा व जामबन्दी में अमल– दरामद करें। वर्तमान में दर्ज खातेदारों के नाम व हिस्से को यथावत रखे। तहसीलदार धोरीमना कार्यालय की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश समझा जावें। इसी माफिक निर्णय एवं डिक्री पर्चा में संसोधन हो। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। मूल डिकरी में संशोधन का नोट अंकित करें। संशोधित डिकी मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
रामेकन वगैरह **जगराम वगेरह**
मुकदमा नम्बर :– 232/2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू ..हाजा न्यायालय व हाजरी श्री पूर्वानुसार वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम अजाणियों की ढाणी (धोरीमना) के खेत खसरा संख्या 410 रकबा 758–16 बीघा, खसरा संख्या 465 रकबा 111–00बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से 33 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाकर खेत खसरा संख्या 415 रकबा 242–02 बीघा खसरा संख्या 410 रकबा 758–16 बीघा व खसरा संख्या 465 रकबा 111–00 बीघा भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 33 का 2/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में घोषित किया जाता हैं– यथावत

बाद घोषणा उक्त वादग्रस्त भूमि में विभाजन हेतु दोनो पक्षों द्वारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नक्शा में प्रदर्शि अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 33 को उनके सामने अंकित भूमि अनुसार पृथक से खातेदार घोषित किया जाता है का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	प्रदर्शित रंग		
1	वादीगण यथावत (वर्तमान जमाबन्दी अनुसार)	410	26–00 34–00 90–00 90–00 240–00	हरा	यथावत	तरमीम नक्शा अनुसार संशोधन की जाती हैं
2	प्रतिवादीगण संख्या 01 से 33 तक) वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	410	518–16	लाल	संशोधित	503–16 15–00 518–16
		415	171–02	लाल	यथावत	
		465	91–00	लाल	यथावत	
			780–18			

प्रकरण संख्या 232/04 बअनवान रामकेन व अन्य बनाम जगराम व अन्य पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2024 में रही त्रुटि को आंशिक संसोधित तहसीलदार धोरीमना [illegible] की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 रिपोर्ट में परिशिष्ट बी अनुसार खसरा संख्या 410 का [illegible] जिसका रकबा क्रमश : 81.5521, 2.4281 करते हुए खसरा संख्या 410/2 की तरमीम शुद्ध की जाएं हैं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

में अमल–दरामद तहसीलदार धोरीमना को आदेश दिया जाता है। ऑनलाईन नक्शा व जामबन्दी में अमल– दरामद करें। वर्तमान में दर्ज खातेदारों के नाम व हिस्से को यथावत रखे। तहसीलदार धोरीमना कार्यालय की रिपोर्ट क्रमांक /भू0अ0/1372 दिनांक 27.05.2024 मौका रिपोर्ट निर्णय की अभिन्न अंग व अंश समझा जावें। शेष डिकरी व निर्णय यथावत रहेगा।

नीज..............–...............मुबलिक..................–.............बाबत्.........–..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **11.06.2024** को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested